208

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. –I / 2016 विविध टंकन सुधार विविध – 9040 – I – 17

1–धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण ब्राम्हण
2–देवेन्द्र पुत्र बोदू सिंह यादव
3–उत्तम सिंह बोदू सिंह यादव
सभी निवासीगण ग्राम कराहल तह.कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

...............आवेदकगण

बनाम

1–कलेक्टर, जिला श्योपुर
2–ग्राम पंचायत कराहल जिला श्योपुर

...............अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 28-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–32 म.प्र.भू.रा.संहिता वास्ते आदेश दिनांक 17.08.16 में टंकन सुधार किये जाने बावत्।

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण / निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत है:–

1. यह कि निगरानीकर्तागणों ने एक निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक निगरानी 3574–एक / 2015 पेश की थी जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.16 को स्वीकार किया है।
2. यह कि उपरोक्त श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.08.16 में टंकन त्रृटि के कारण सर्वे कमांक 1396 / 5 के स्थान पर सर्वे कमांक 1393 / 5 टकंन त्रृटि से टाईप / लेख हो गया है। आदेश के पेज नं. 02 पर 1396 / 5 के स्थान पर टंकन त्रृटि से 1393 / 5 अंकित हो गया है। इसी आदेश के पेज नं. 04 में अंतिम पैरा में सर्वे कं. 1396 / 5 के स्थान पर टंकन त्रृटिवश 1393 / 5 अंकित हो गया है। जबकि मूल निगरानी मेमों में आवेदकगणों की ओर से भूमि सर्वे कमांक 1396 / 5 दर्शाया है जो आदेश में टंकन त्रृटि से 1396 / 5 के बजाय 1393 / 5 अंकन हो गया है जिसे न्यायहित में सुधरा जाना आवयश्क है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदकगणों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर उपरोक्त टंकन त्रृटि सुधार करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक :–

आवेदकगण / अधिवक्ता
1–धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण ब्राम्हण
2–देवेन्द्र पुत्र बोदू सिंह यादव
3–उत्तम सिंह बोदू सिंह यादव
सभी निवासीगण ग्राम कराहल तह.कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9040—एक/17 जिला— श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27.6.17	आवेदक अधिवक्ता श्री एम0 व्ही0 दुवे उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा—32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 3574—एक/15 पेश की थी जिसमें आदेश दिनांक 17.8.16 स्वीकार किया गया था लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण सर्वे क्रमांक 1396/5 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 1393/5 टंकणत्रुटि से टाइप हो गया है जिसे सुधार ने का अनुरोध किया गया है। 2— आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पेज न0 2 पर 1393/5 के स्थान पर 1396/5 पढ़ा जावे इसी प्रकार पेज न0 4 पर अंतिम पैरा में 1393/5 के स्थान पर 1396/5 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी । सदस्य	